



अमित शाह जयपुर के बाद मंगलवार को सीधे जोधपुर पहुँचे। जहाँ एक होटल में उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, इसके पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह का दुपट्टा ओढ़कर स्वागत किया।

## चुनाव तैयारियों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे

### शाह ने जोधपुर, पाली, जैसलमेर-बाड़मेर, जालौर-सिरोही लोकसभा सीटों की कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक ली

जोधपुर, 1 अप्रैल (कांस)। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में मिशन 25 को सफल करने के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में तृप्तानी दौर कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जोधपुर पहुंचे जहां उन्होंने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र सहित पाली, बाड़मेर-जैसलमेर, जालौर-सिरोही लोकसभा क्षेत्रों की संयुक्त कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया।

बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह का दुपट्टा ओढ़ा कर स्वागत किया। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों

- बैठक बेहद गोपनीय थी, मीडिया को इससे दूर रखा गया।
- कहा जा रहा है कि, शाह ने सभी प्रत्याशियों से एक-एक कर मुलाकात की और फीडबैक लिया।
- बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। बैठक में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, राज्यमंत्री के.के. विश्नोई के अलावा कई अन्य नेता भी मौजूद थे।

में जोधपुर लोकसभा सीट हॉट सीटों में एक है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस ने राजपूत

प्रत्याशी पर दांव खेलते हुए करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस माहौल को

भांपते हुए कोर कमेटी की बैठक में जीत के कई मूल मंत्र भी दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त कोर कमेटी की इस बैठक से मीडिया को भी अलग रखा गया।

कहा जा रहा है कि, चारों लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों को लेकर गृह मंत्री एक-एक करके भाजपा प्रत्याशियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। इस संयुक्त बैठक में राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, राज्यमंत्री के.के. विश्नोई के अलावा भाजपा के जनप्रतिनिधि और चारों लोकसभा क्षेत्रों के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी भी मौजूद थे।

## भाजपा के शीर्ष नेताओं का तूफानी प्रचार शुरु, विपक्षी नेताओं के कार्यक्रम अभी तय नहीं

नई दिल्ली, 1 अप्रैल लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा अन्य पार्टियों से कोसों आगे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से जहां चुनावी रैली करके प्रचार अभियान का बिगुल फूँका तो वहीं पार्टी के दूसरे शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में रैली करने वाले हैं, पर सत्तारूढ़ एन.डी.ए. को चुनौती देने वाले विपक्ष के नेताओं के अभी प्रचार के मैदान में उतरने का इंतजार है। सपा, बसपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का प्रचार का कोई कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री के 31 मार्च को मेरठ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ रैली के बाद भाजपा ने जमीनी प्रचार तेज कर दिया है। अमित शाह 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे। इस रैली में जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी

- प्रधानमंत्री मोदी कई प्रदेशों में रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह मंगलवार को यू.पी. जायेंगे उसके बाद थोड़ा समय निकालकर कर्नाटक जाकर रोड शो करेंगे
- सपा, बसपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का प्रचार का कोई कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।

यूपी के लिहाज से मुजफ्फरनगर में होने वाली रैली अहम है। वहीं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित प्रचार कार्यक्रमों के लिए यूपी यूनिट को सक्रिय कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार अभियान को तेज करते हुए रोज 3-4 प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। इस बीच यूपी में विपक्ष के बड़े चेहरे अभी भी प्रचार मैदान में नहीं उतरे हैं। यहां तक कि विपक्षी दलों ने अपने शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम भी जारी नहीं किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन का दौर शुरू हो चुका

है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों में सभी 80 सीटों को जीतने के नारे के साथ भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। यूपी से चुनाव शुरूआत होती है तो पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन ही भाजपा के लिए चुनौती रही है। समाजवादी पार्टी से राहें अलग करते हुए भाजपा के साथ जयंत चौधरी आ गए हैं। मेरठ की रैली के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयंत और एन.डी.ए. के दूसरे सभी सहयोगियों ने ताल ठोक कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं प्रचार सभा से अभी तक विपक्षी दलों के शीर्ष नेता

गैरमौजूद दिख रहे हैं। दरअसल, दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन से 31 मार्च को एक-दुसरा का प्रदर्शन करने हुए हुंकार भरी। बताया गया था कि इसके बाद विपक्षी दल प्रचार के लिए रैली करेंगे। लेकिन अब तक इन शीर्ष नेताओं की रैली या प्रचार का कार्यक्रम का कोई शेड्यूल नहीं जारी किया गया। यहां तक कि खुद इन दलों के घोषित प्रत्याशियों को भी अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रचार कार्यक्रम का इंतजार है। सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के सबसे पहले तेजी दिखाई थी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। पर अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के किसी अन्य नेता का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। यहां तक कि शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव ने भी अब तक प्रचार के लिए कोई जनसभा नहीं की।

### प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास डोन उड़ाने को भी प्रतिबंधित किया गया है।

प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर वाहनों को डाईवर्ट किया गया है। एस.पी. वंदिता राणा ने बताया कि, दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले वाहन बहरोड चौराहे से वाया ततारपुर, विराटनगर होते हुये अलवर तिराहे से जयपुर की ओर जायेंगे। वहीं जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन मनोहरपुर से पहले दौसा बाईपास अथवा अलवर तिराहे से विराटनगर, ततारपुर होकर बहरोड चौराहे से दिल्ली की ओर जायेंगे।

जयपुर से दिल्ली व दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले गुड्स वाहनों एवं निजी वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। मंगलवार को अलवर तिराहे से वाया कोटपूतली-बहरोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 पर ट्रैफिक संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने आने वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई है।

## आंदोलनरत किसान की मौत की ज्यूडिशियल जांच के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

### सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन के दौरान एक 22 वर्षीय किसान की कथित तौर पर पुलिस की गोली लगने से मौत मामले में उच्च न्यायालय की ओर से दिये गये न्यायिक जांच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

यह युवक केंद्र सरकार से अपने फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून लागू करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा पर आंदोलन करने वाले किसानों में शामिल था। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के.वी विश्वनाथन की पीठ ने हरियाणा सरकार की यह दलील कि उच्च न्यायालय के आदेश से पुलिस बल के मनोबल पर असर पड़ेगा, खारिज करते हुए कहा कि इस आशंका

- हरियाणा सरकार ने याचिका में दलील दी थी कि, मामले की ज्यूडिशियल जांच के आदेश से पुलिस के मनोबल पर विपरीत असर पड़ेगा इसलिए कोर्ट यह आदेश वापस ले ले।

(मनोबल गिरने का) का कोई आधार नहीं है।

पीठ ने कहा कि न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय का दवावा खटखटाने वालों के पास "कुछ वास्तविक आशंकाएं" हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी किसान की मौत के मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त

न्यायाधीश और दो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) की एक समिति गठित करने का आदेश पारित किया था। न्यायालय ने यह आदेश सात फरवरी को दिया था।

शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि जांच के आदेश से पुलिस बल के मनोबल पर असर पड़ेगा।

### केजरीवाल को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) टी.वी. चैनल, जिसमें समाचार, मनोरंजन, खेल शामिल हैं, देख सकेंगे। भोजन और कोर्टरी में बंद होने के दौरान यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आपातकालीन स्थिति में वे डॉक्टर और अन्य चिकित्सकीय कर्मचारियों के पास जा सकेंगे।

## ज्ञानवापी के दक्षिणी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बरकरार था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अंबुजमन इंटेजायामिया मस्जिद कमेटी की उस अपील पर नोटिस जारी किया था जिसमें दायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने अपील की थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस अपील को पिछले फरवरी में खारिज कर दिया था जिसमें जिला कोर्ट के 31 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी उसमें हिन्दू पक्षकारों को तहखाना में हिन्दुओं का पूजा पाठ करने की

ज्ञाजलत प्रदान की गई थी।

याचिका को खारिज करते समय कोर्ट ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़वा, मस्जिद परिसर क दक्षिणी तहखाने में वर्ष 1993 में राज्य सरकार द्वारा पूजा पर रोक लगाने की कार्यवाही "अवैध" थी।

इसके छ: दिन बाद इसने वादियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट की प्रतियां सौंप जाने के 6 दिन बाद वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को एक पुजारी को मस्जिद परिसर में दक्षिणी तहखाने में पूजा को अनुमति दे दी थी।

उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद निर्माण से पहले यहां मंदिर था।

## शोफाली शरण पी.आई.बी. की नई प्रमुख बनीं

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल शोफाली बी. शरण ने सोमवार को प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो में प्रधान महानिदेशक (पी.डी. जी.) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। यह पद मनीष देसाई के 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुआ है। शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं। तीन दशकों के अधिक के शानदार कैरियर के दौरान,

- मौदी सरकार के ब्यूरो में आने के बाद प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) की प्रमुख बनने वाली शोफाली पहली महिला अधिकारी हैं।

उनके पास वित्त, स्वास्थ्य एवं सूचना व प्रसारण विभाग रहा है।

वे चुनाव आयोग के प्रवक्ता के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। शरण ऐसी प्रथम महिला अधिकारी हैं, जो मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद पी.आई.बी. की प्रमुख बनीं हैं और इस पद पर अब तक नियुक्त होने वाली वे पांचवी महिला हैं उनसे पूर्व नीलमा कपूर, दीपक संधु, शकुन्तला महावाल एवं एन.जे. कृष्णा इस पद पर रह चुकी हैं।

## 'लोकसभा चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में एक बयान देना चाहता हूँ। कांग्रेस एक राजनैतिक दल है और इस समय चुनाव चल रहे हैं। इसलिए हम पार्टी के विरुद्ध कोई जोर जबरदस्ती की कार्यवाही नहीं करेंगे।

इस आश्वासन के प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने इस मामले में पैंरवी कर रहे विरुध वकील अशोक मनु सिंघवी ने विभाग के इस निर्णय की प्रशंसा की और इसे "दयापूर्ण" बताया।

सिंघवी ने खुलासा किया कि, कुल 3500 करोड़ रुपये से ऊपर की टैक्स मांग के नोटिस कांग्रेस को मार्च में तथा इससे पूर्व के वर्षों में दिए गए थे। कांग्रेस ने यह खुलासा किया कि, उसी वे मांग वाले नोटिस आयकर विभाग से अभी मिले हैं, जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 की कर मांग 1745 करोड़ रुपये दर्शाई गई है जो कि कुल मांग 3500 करोड़ रुपये से अधिक की बनती है।

## सरकार बदलते ही बिल्डर्स व अन्य बिज़नेसमैन के झूठे-सच्चे, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2021 को कंपनी में हुए एक अनुबंधन के अनुसार अशोक मूंदडा को उनके पास गिरवी रखे शेर को वापस एस.एन. गुप्ता को सौंपना था और इसके लिए शेर के एवज में अशोक मूंदडा को कंपनी की कुल संपत्ति में से एक लाख वर्ग गज़ ज़मीन सौंपी गई थी। लेकिन अशोक मूंदडा ने कंपनी के एफ.आई.आर. के विरुद्ध जाते हुए, कभी भी गिरवी रखे शेर एस.एन. गुप्ता को नहीं लौटाये।

निदेशक और निवेशक के बीच उत्पन्न हुआ यह विवाद वर्ष 2022 में जयपुर स्थित नेशनल कम्पनी लॉ ट्रीब्यूनल में पहुंच गया, जहां एस.एन. गुप्ता ने सिल्वर सॉइल के अन्य निदेशकों पर आरोप लगाया कि कम्पनी में हुए एग्रीमेंट/ एम.ओ.यू. के विरुद्ध में उन्हें कम्पनी में हिस्सेदारी नहीं दी गई, बल्कि अशोक मूंदडा ने उनके खिलाफ कई बेबुनियाद व फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज कराई। प्रशासनिक अधिकारियों को मदद से ऐसा दबाव का माहौल बनाया जिससे जबरन उनसे कई दस्तावेज व खाली पेपर हस्ताक्षरित करवा लिए गए। एस.एन. गुप्ता ने अदालत को यह बताया कि फर्जी

एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने की सूचना उन्होंने पुलिस में कई विरुध अफसरों को भी दी थी, परंतु किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। इसी मामले में टी.सी. चौधरी और अशोक मूंदडा (जिन्होंने अदालत के समक्ष स्वयं को सिल्वर सॉइल का निदेशक बताया) द्वारा कहा गया कि 19 जनवरी 2022 को एक बोर्ड मीटिंग में एस.एन. गुप्ता को कम्पनी के निदेशक में एफ.आई.आर. दर्ज कराए कर लिया गया था। जो दिनांक 18 जनवरी 2022 को दिया गया था, उनकी ओर से यह भी कहा गया कि उससे एक दिन पूर्व ही, 17 जनवरी 2022 की बोर्ड मीटिंग में यह तय कर लिया गया था कि कम्पनी के अन्य दो निदेशकों (टी.सी. चौधरी और अशोक मूंदडा) के हस्ताक्षर व सहमति से उक्त कम्पनी की संपत्तियों का बेचान किया जा सकता है और नई संपत्ति भी खरीदी जा सकेगी। इस पर पलट कर अदालत में एस.एन. गुप्ता की ओर से कहा गया कि एक कम्पनी की दो बोर्ड मीटिंग दो या तीन दिन में नहीं की जा सकती। उनकी ओर से बताया गया कि, कम्पनीज एक्ट, 2013 की धारा 173 (3) के तहत कम्पनी की दो बोर्ड

मीटिंग के बीच कम से कम एक सप्ताह का समय होना अनिवार्य है क्योंकि हर बोर्ड मीटिंग का अलग से एजेंडा तैयार किया जाता है और उसके बाद ही मीटिंग के लिए निदेशकों को नोटिस भेजा जाता है। इस तथ्य को दर्शाकर एस.एन. गुप्ता ने अदालत को यह बताया चाहा कि 17 व 19 जनवरी को कम्पनी की कोई बोर्ड मीटिंग की बैठक नहीं हुई थी। बल्कि उन पर दबाव बनाकर जो खाली पेपर हस्ताक्षरित करवाए गए थे, बाद में उन्हीं पेपर की मदद से, यह दर्शाया गया कि उन्होंने कम्पनी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यह कि कम्पनी की संपत्तियों का बेचान उनकी सहमति के बगैरे भी किया जा सकता है। अदालत ने इन सब तथ्यों को सुनने के बाद एक मार्च 2022 को आदेश पारित किए थे कि कम्पनी में सभी निदेशकों के बीच हिस्सेदारी की यथास्थिति बरकरार रखी जाए और इसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएं जब तक कि अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कम्पनी के अन्य निदेशक टी.सी. चौधरी, 17 से 19 जनवरी के बीच हुई बोर्ड मीटिंग के एजेंडा व नोटिस

अदालत में पेश करें। अदालत ने यह भी आदेश दिए कि उसको सूचित किए बगैरे व उसकी आज्ञा लिए बगैरे उक्त कम्पनी की संपत्ति का बेचान नहीं किया जाए। आदेश में यह भी निर्देशित था कि अशोक मूंदडा किसी भी दस्तावेज या मीटिंग में स्वयं को सिल्वर सॉइल कंपनी में अतिरिक्त निदेशक नहीं दर्शा सकते। एस.एन. गुप्ता के अनुसार हैरानी की बात है कि, सभी पक्षकारों की ओर से अदालत में उनके प्रतिनिधि व अधिवक्ता मौजूद थे पर फिर भी एक मार्च को सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रीयल पार्क की 82,588.40 वर्ग गज़ ज़मीन बेचकर दो मार्च को उसकी 'सेलडी' की रजिस्ट्री भी की गई। एस.एन. गुप्ता ने आगे बताया कि उनके अनुसार उक्त भूमि का मूल्य (कंपनी में हुए समझौते, एग्रीमेंट) में दर्शाया दरों के अनुसार 77 करोड़ 20 लाख रुपये होना चाहिए था, परंतु उक्त भूमि की 'सेल' व उसकी 'रजिस्ट्री' 30 करोड़ रुपये से भी कम की दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि कई खसरो और प्लॉट्स की डी.एल.सी. रेट से भी कम दर पर सेल और रजिस्ट्री दिखाई गई है। एस.एन. गुप्ता का यह भी कहना

है कि यह बेचान केवल कागज़ों में दिखाया गया है क्योंकि उक्त संपत्ति के बेचान के लिए जो "चैक्स" दर्शाए गए हैं, उनसे ना तो अशोक मूंदडा और ना ही टी.सी. चौधरी को कोई राशि मिली है। और उक्त संपत्ति के बेचान से सिल्वर सॉइल कंपनी में भी कोई पैसा नहीं आया है। जिस पर सवाल उठता है कि अशोक मूंदडा और टी.सी. चौधरी ने किसके नाम इस संपत्ति का बेचान किया और क्यों? एस.एन. गुप्ता का इस संबंध में कहना है कि इस प्रकरण में एक अहम भूमिका भवानी शंकर सामोता की है, जो कि टी.सी. चौधरी के रिश्तेदार है, जिन्के राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र के सहयोग से ही दबाव का माहौल बनाया गया और अशोक मूंदडा व टी.सी. चौधरी को यह हिस्सा मिली कि अदालती आदेशों के बावजूद उन्होंने कंपनी की संपत्ति का बेचान किया।

एस.एन. गुप्ता ने बताया कि इस प्रकरण में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि 80 हजार वर्ग गज से भी अधिक भूमि का बेचान कर रजिस्ट्री भवानी शंकर सामोता और उनकी कंपनी सामोता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में की गई। जिसका सिल्वर सॉइल

कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। एस.एन. गुप्ता ने यह भी बताया कि सामोता होल्डिंग्स का गठन उक्त प्रकरण से केवल छ: महीने पहले ही किया गया था, और इस कंपनी में भवानी शंकर सामोता के अलावा उनकी पत्नी ही निदेशक है। उन्होंने कहा कि यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भवानी शंकर सामोता कांग्रेस नेता सी.पी. जोशी के करीबी हैं और उन्होंने के कार्यकाल के दौरान आर.सी.ए. में सचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे और सी.पी. जोशी के इस्तीफे के बाद वे मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोट के आधीन आर.सी.ए. में सचिव के पद पर बने रहे। उन्होंने बताया कि सत्ता पलट देने के बाद ही, वे इस प्रकरण को रोशनी में लाने की हिम्मत जुटा पाए हैं।

इस मामले में टी.सी. चौधरी के अधिवक्ता ने कहा कि एक मार्च 2022 को जिस दिन इस मामले में सुनवाई अदालत में हो रही थी, उसी दिन उनके मुखकिल द्वारा सिल्वर सॉइल कम्पनी की संपत्ति का बेचान किया गया था। उन्होंने बताया कि अदालत का आदेश उसके आगे दिन यानि 2 मार्च को "अपलोट" हुआ था यानि आदेश के अपलोट होने से पहले ही संपत्ति का

बेचान कर दिया था। इस मामले में अशोक मूंदडा के तत्कालीन वकील से बात की गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। यहां उल्लेखनीय है कि इस बेचान का रजिस्ट्रेशन दो मार्च को किया गया। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस दिन सिल्वर सॉइल कम्पनी के मामले की सुनवाई होनी थी, उसी दिन कम्पनी के निदेशकों के द्वारा कम्पनी की संपत्ति का बेचान किया गया जैसे कि उनके अधिवक्ताओं ने उन्हें बताया कि अदालत में क्या सुनवाई हो रही है और क्या आदेश सुनाया गया है।

इस मामले में जब भवानी शंकर सामोता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह एक "जैनविन" बिज़नेसमैन है और उन्होंने एक "जैनविन" व्यापारी कि तरह ही इस संपत्ति को खरीदा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि सिल्वर सॉइल कम्पनी का मामला अदालत में लंबित है और अदालत ने कम्पनी की संपत्ति के बेचान पर रोक लगाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके संबंधी टी.सी. चौधरी ने उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी है कि कम्पनी की

सम्पत्ति का बेचान नहीं किया जा सकता, तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह मामला अदालत में लंबित है तो अदालत ही इस बेचान को गलत ठहरा सकती है और न्याय कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अदालत द्वारा यह बेचान गलत पाया गया तो वे स्वयं भी संपत्ति के लिए अदा की गई राशि वापस लेने का दावा पेश करेंगे।

यहां उल्लेखनीय है कि एस.एन. गुप्ता की ओर से बताया गया कि टी.सी. चौधरी ने नई सरकार के मंत्रियों और अफसरों की नियुक्ति के पूर्व 13 दिसम्बर 2023 को सिल्वर सॉइल कम्पनी कि 20,000 वर्ग गज जमीन का बेचान किया और अदालती आदेशों के बावजूद सब रजिस्ट्रार से उक्त बेचान की सेल डीड का रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस संबंध में एस.एन. गुप्ता द्वारा एन.सी.एल.टी., जयपुर में अवमानना याचिका दाखल की गई जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 29 फरवरी 2024 को नोटिस जारी करे और मामले के अगली सुनवाई चार अप्रैल को तय की है।